



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4432]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940

No. 4432]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5644(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

1967 में घोषित प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य 17.29 वर्ग किलोमीटर (1728.81 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और 2013 में घोषित खंड-ख, 5.22 वर्ग किलोमीटर (521.36 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य में नागापट्टीनम जिला के वेदारान्यम तालुक में स्थित है। यह नागापट्टीनम के दक्षिण में 60 किलोमीटर और जहां पलक जलसंधि बंगाल की खाड़ी से मिलती है में स्थित है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 22.51 वर्ग किलोमीटर है।

**और,** अभयारण्य दक्षिणी भारत में काला हिरण (ब्लैकबक) की सबसे अधिक संख्या का पर्यावास है। स्थानीय रूप से वेलिमैन के रूप में जाना जाता है, काला हिरण (ब्लैकबक) भारत में खुले भू-भाग के बहुत कम पशुओं में से एक है। अभयारण्य के दक्षिणी भाग में स्थित घास भूमि ब्लैकबक के प्राकृतिक पर्यावास का स्थान है।

**और,** अभयारण्य पारिस्थितिकी-प्रणाली उष्णकटिबंधीय शुष्क-सदाबहार वन, खुले घासभूमि और ज्वारीय मिट्टी फ्लैट का अद्वितीय मिश्रण है, जो देश में एकमात्र किस्म का है। यह देश में अद्वितीय शुष्क-सदाबहार वन का सबसे बड़ा फैलाव का एक वास है।

**और**, अभयारण्य और उसके आसपास की आर्द्रभूमि उत्तर से जलीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है। अभयारण्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो समेत प्रवासी जल पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियां सितंबर के बाद से इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगती हैं और उत्तर में वापस जाने से पहले जनवरी तक यहां रहती हैं। अभयारण्य तट लुप्तप्राय ओलिवे रिडले कछुए का नियमित घोंसला स्थल है।

**और**, अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवजंतुओं की विविधता है। संरक्षित क्षेत्र में वनस्पतियों में उदाहरण सफेद बबूल (अकैशिया लेउकोफलोया), नीम (अजादीराचट इंडिका), बाघ बीन (देलनीक्स ईलाटा), पीपल ट्री (फिकस रेलीगिओसा), कुबन-लौरैल (फिकस रेतुसा), इंडियन वीच ट्री (पोंगमिया पिन्नाटा), साल्ट बूस मैंग्रोव (अरथरोकनेमुम इंडिकुम), वाइल्ड बैरी (अल्लोफयलुस सेर्राटुस), ब्लैक ओलुम (सियगिउम कुमिनी), नैडल बूस (अजिमा टटेराकंथा), गलांदुलार जाटरोफा (जटरोफा गलांदुलिफेरा), कैट-थोरन (सकुटीअ मयरटिना) आदि पाए जाते हैं।

**और**, अभयारण्य में पक्षियों, तितलियों, सरीसृपों, उभयचरों, स्तनधारियों की विविधता है। पक्षियों में कट्टील ड्रेट (बुबुल्कुस इवस), वारटेल्ड गोदविट (लिमोसा लप्पोनीका) आदि हैं; अभयारण्य में सरीसृपों की लगभग 18 प्रजातियां पहचान की गईं। अभयारण्य के समुद्र तट में मुख्य सरीसृप इंडियन सटरेड कछुआ (*गोओचेलोन इलेगंस*), इंडियन चमेलेओन (चमेलेओ जयलानिकुस), इंडियन मॉनीटर लिजार्ड (वर्नुस बेंगालेंसिस), कॉमन स्किंक (मबुया करीनाटा), रेट सांप (पटयस मुकोसुस), सामान्य इंडियन ब्रॉन्जबैक (देंदरोलाफिस टरिस्टिसद), लुप्तप्राय ओलिव रिडलेय टुरटले (लेपिदोचेल्य सोलिवाके), है; उभयचरों की लगभग 9 प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें स्किप्पर से (राना चयनोफल्यकटिस), सामान्य ग्रीन मेंढक (रानो हेक्कटयला), ट्री मेंढक (पोल्यपेटेस मकुलाटेस) और सामान्य टोड (बुफो मेलानोस्टीकटुस) शामिल है।

**और**, अभयारण्य वाणिज्य रूप से महत्वपूर्ण समुद्री झींगा और मछलियां जैसे *पी. इनाइयसिंदीकुस*, *पी. मोनोडोन*, *हील्सा इलिसा* और *चानोस चानोस* के लिए जलांडक और पोषण भूमि का बड़ा वेदारान्यम दलदल है। इनके अलावा अन्य समुद्रापगामी प्रजातियां हैं, दलदल की मछली जीवजंतु मुख्यतः मुल्लेट प्रजातियों द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। जलाशयों और औद्योगिक नमक कार्यों के कम लवणता संघनित में विदेशी *ओरओचरोमिस मोस्साम्बिकुस* (*तिलापिया मोस्साम्बिका*) की प्रचुर मात्रा है और मानसून के दौरान अभयारण्य में जलमग्न क्षेत्र है। प्वाइंट केलीमर का तट नवंबर से फरवरी तक मछलियों और झींगों के लिए महत्वपूर्ण मछली अवतरण स्थल है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख की सीमा के चारों ओर 0.14 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा--**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोनका स्तार प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के चारों ओर 0.14 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 88.93 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-II क-ड** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध-III (क)** और **(ख)** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--**(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केन्द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका ;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग;
- (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात**:- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण**:- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**: - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाईयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

	निस्सारण ।	
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी; (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।



ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	वायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति.-** केंद्रीय सरकार, प्रारूप अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	जिला कलेक्टर	-अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	-सदस्य;
4.	उप-कलेक्टर, नागापट्टीनम	-सदस्य;
5.	खंड विकास अधिकारी, वेदारान्यम	-सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का विशेषज्ञ	-सदस्य;
7.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
9.	तहसीलदार, वेदारान्यम तालुक	-सदस्य;
10.	जिला वन अधिकारी और वन्यजीव वार्डन	-सदस्य सचिव।

**6.विचारार्थ विषय:-** (i) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(ii) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(iv) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(v) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(vi) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(vii) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

**8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे

[फा. सं. 25/28/2018-ईएसजेड]


डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

### उपाबंध।

#### **संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**


<b>पूर्व</b>	उत्तरी सीमा अगस्थीयमपल्ली ग्राम आर.एस. सं.059 के क्र.सं.4 से आरंभ होती है और क्र.सं 12, 15 और 21 से होते हुए जाती है और इसके बाद वेदारान्यम ग्राम में जाती है और इसके बाद पुनः अगस्थीयमपल्ली ग्राम की क्र.सं. 145, 114, 181, 180 और 187 में जाती है और पूर्व की ओर जाकर और बंगाल की खाड़ी के वेदारान्यम समुद्र तट पर समाप्त होती है।
<b>उत्तर पूर्व</b>	उत्तर-पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के वेदारान्यम समुद्र तट से आरंभ होकर और अगस्थीयमपल्ली ग्राम के क्र.सं. 192, 198 और 199 के समानांतर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण की ओर जाती है।
<b>पूर्व</b>	इसके बाद पूर्वी सीमा पुनः अगस्थीयमपल्ली ग्राम के क्र.सं.199 से दक्षिण की ओर जाती है और कोदीयाकदू रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा के समीप जाती है।
<b>दक्षिण पूर्व</b>	दक्षिण-पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के तट के साथ जाती है और पलक जलसंधि में समाप्त होती है और इसके बाद कोदीयाकराई रिज़र्व वन के क्र.सं. 351 और 350 के साथ पश्चिम की ओर जाती है।
<b>दक्षिण</b>	दक्षिणी सीमा कोदीयाकराई रिज़र्व वन के क्र.सं. 350 से आरंभ होती है और क्र.सं. 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 264, 263, 262, 262, 260, 205, 204, 203, 202, 201, 190, 189, 177, 176 के साथ जाती है और इसके बाद कोदीयाकदू ग्राम आर एस सं. 60 की

	दक्षिणी सीमा में जाती है और क्र.सं. 79,78, 77, 76, 75, 74, 73, 72 और क्र.सं. 70 और 71 के जंक्शन तक जाती है।
<b>दक्षिण पश्चिम</b>	दक्षिण पश्चिमी सीमा क्र.सं. 71 से कोदीयाकदू ग्राम की दक्षिणी सीमा में आरंभ होती है और बंगाल की खाड़ी के तट के साथ लवण दलदल से होते हुए जाती है।
<b>पश्चिमी</b>	पश्चिमी सीमा पलक जलसंधि से आरंभ होकर और लवण दलदल और कोदीयाकदू ग्राम आर.एस.सं 60 और कोदीयाकराई ग्राम आर.एस. सं.61 की पश्चिमी सीमा के समीप होते हुए उत्तर की ओर जाती है और इसके बाद पंचनाथीकुलम आर्द्रभूमि क्षेत्र से होते हुए जाती है।
<b>उत्तर पश्चिम</b>	उत्तर-पश्चिमी सीमा पुनः पंचनाथीकुलम आर्द्रभूमि क्षेत्र से होते हुए जाती है और वेदारान्यम ग्राम आर.एस.सं.56 में जाती है और क्र.सं. 965, 314, 874, 889 और 887 से होते हुए जाती है और अगस्थीयमपल्ली ग्राम के क्र.सं.4 में जाकर पूर्व की ओर जाती है।

**उपाबंध - IIक****प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र**


**उपाबंध - IIख**

**प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र**




**उपाबंध - IIग**

**भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**




**उपाबंध – IIघ**

**10 किलोमीटर बफर के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र**



**उपाबंध- IIङ**

**मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**



## उपाबंध-III

सारणी क : प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख तमिलनाडु के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1.	1	उ	10°18'15"	79°49'50"
2.	2	उ	10°18'15"	79°50'29"
3.	3	उ	10°17'57"	79°50'25"
4.	4	उ पू	10°17'49"	79°50'26"
5.	5	उ	10°17'7"	79°50'20"
6.	6	उ	10°17'12"	79°50'39"
7.	7	उ	10°17'1"	79°50'48"
8.	8	उ	10°17'15"	79°51'17"
9.	9	उ	10°17'36"	79°51'53"
10.	10	उ	10°17'53"	79°52'23"
11.	11	उ	10°17'55"	79°52'26"
12.	12	पू	10°17'53"	79°52'31"
13.	13	पू	10°17'48"	79°52'33"
14.	14	द पू	10°17'39"	79°52'28"
15.	15	द चोला लाइट हाउस	10°17'21"	79°52'7"
16.	16	द	10°17'5"	79°51'43"
17.	17	द	10°16'47"	79°50'55"
18.	18	द	10°16'35"	79°50'13"
19.	19	द	10°16'40"	79°50'1"
20.	20	द प	10°16'53"	79°50'1"
21.	21	द प सं.3 गेट	10°16'58"	79°49'55"
22.	22	द प	10°17'7"	79°49'51"

23.	23	प	10°17'13"	79°49'46"
24.	24	प	10°17'16"	79°49'51"
25.	25	प	10°17'20"	79°49'51"
26.	26	प सं.2 गेट	10°17'25"	79°50'2"
27.	27	प	10°17'34"	79°50'7"
28.	28	प	10°17'43"	79°50'7"
29.	29	प	10°17'48"	79°49'57"
30.	30	उ प	10°17'55"	79°49'55"
31.	31	उ प	10°17'58"	79°49'52"
32.	32	उ प	10°18'2"	79°49'47"
33.	33	उ प	10°18'15"	79°49'50"

**सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रस्ताव	देशांतर(पू) डीएमएस प्रस्ताव
1.	1	उ पू	10°22'13"	79°52'21"
2.	2	उ पू	10°20'19"	79°52'42"
3.	3	पू	10°19'16"	79°52'52"
4.	4	पू	10°18'33"	79°52'56"
5.	5	पू	10°17'60"	79°52'53"
6.	6	पू	10°17'40"	79°52'42"
7.	7	द पू	10°17'19"	79°52'14"
8.	8	द पू	10°17'10"	79°51'58"
9.	9	द पू	10°16'53"	79°51'26"
10.	10	द पू	10°16'43"	79°51'2"
11.	11	द पू	10°16'43"	79°50'54"
12.	12	द	10°16'31"	79°50'2"

13.	13	द	10°16'27"	79°48'53"
14.	14	द	10°16'27"	79°47'42"
15.	15	द	10°17'20"	79°47'34"
16.	16	द	10°18'14"	79°47'10"
17.	17	द	10°18'56"	79°47'10"
18.	18	द	10°19'38"	79°47'22"
19.	19	द	10°20'15"	79°47'48"
20.	20	द	10°20'37"	79°48'19"
21.	21	द	10°21'21"	79°48'48"
22.	22	द प	10°21'59"	79°49'40"
23.	23	द प	10°22'12"	79°50'32"
24.	24	द प	10°22'17"	79°51'26"

**उपाबंध-IV**

भू-निर्देशांकों के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश(उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर(पू) डीएमएस प्रारूप
1.	अगस्थीयमपल्ली	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 22' 23"	79°51'26"
2.	वेदारान्यम	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 21' 49"	79°49'37"
3.	कोदीयाकदु	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 16' 54"	79°49'30"
4.	कोदीयाकराई	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 17' 44"	79°49'31"

**उपाबंध-V**

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।



3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30 October, 2018

**S.O. 5644(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: [-esz-mef@nic.in](mailto:-esz-mef@nic.in)

### Draft Notification

**WHEREAS**, the Point Calimere Wildlife Sanctuary, declared in 1967 is spread over an area of **17.29 Sq.km**(1728.81 Ha) and Block B, declared in 2013 is spread over an area of **5.22 Sq. km** (521.36 Ha) and located in Vedaranyam Taluk of Nagapattinam District in the state of Tamil Nadu. It is located 60 kilometres south of the Nagapattinam and lies where the Bay of Bengal meets the Palk Strait. The total area of sanctuary is **22.51 sq. km**.

**AND WHEREAS**, the sanctuary is home to the largest population of the Blackbuck in Southern India. Locally known as Velimaan, the Blackbuck is one of the very few animals of the open country in India. The grasslands located in the southern part of the sanctuary are the natural habitat of the blackbuck.

**AND WHEREAS**, the sanctuary eco-system is a unique mix of tropical dry-evergreen forests, open grasslands and tidal mudflats, the only of its kind in the country. It harbours the single largest stretch of the unique dry-evergreen forest in the country.

**AND WHEREAS**, the sanctuary and its surrounding wetlands are important wintering grounds for water birds from the North. Nearly 100 species of migratory water birds including the Greater Flamingo start arriving in the sanctuary and its surroundings from September onwards and stay on till January before their return to the North. The sanctuary coast has been a regular nesting site of the endangered Olive Ridley turtle

**AND WHEREAS**, the sanctuary has diversity of flora and fauna. Examples of flora found in the protected area are white babul (*Acacia leucophloea*), neem (*Azadirachta indica*), Tiger bean (*Delnix elata*), Peepal tree

(*Ficus religiosa*), Cuban-Laurel (*Ficus retusa*), indian Beech Tree (*Pongamia pinnata*), Salt bush Mangrove (*Arthrocnemum indicum*), Wild beery (*Allophylus serratus*), Black olum (*Syzygium cumini*), Needle bush (*Azima tetracantha*), Glandular Jatropha (*Jatropha glandulifera*), Cat-thorn (*Scutia myrtina*) etc.

**AND WHEREAS**, the sanctuary has variety of birds, butterflies, reptiles, amphibians, mammals. Examples of birds are Cattle egret (*Bubulcus ibis*), Bartailed godwit (*Limosa lapponica*) etc; around 18 Species of Reptiles have been identified in the sanctuary. The major reptiles are the Indian Starred tortoise (*Geochelone elegans*), Indian chameleon (*Chameleo zeylanicus*), Indian Monitor lizard (*Varnus bengalensis*), Common skink (*Mabuya carinata*), Rat snake (*Ptyas mucosus*), common Indian Bronzeback (*Dendrolaphis tristis*), the endangered Olive Ridley turtle (*Lepidochely solivacea*), nests in the shore of the sanctuary; about 9 species of amphibians have been recorded including the skipper from (*Rana cyanophlyctis*), Common green frog (*Rana hexadactyla*), Tree frog (*Polypedates maculates*) and Common toad (*Bufo melanostictus*).

**AND WHEREAS**, the sanctuary has Great Vedaranyam Swamp is the spawning and nursing ground for commercially important maritime prawns and fishes, such as *P. enaeusindicus*, *P. monodon*, *Hilsa ilisha* and *Chanos chanos*. Other than these anadromous species, the fish fauna of the Swamp is mainly represented by mullet species. The Marsh Crab *Scylla serrata* is a commercially important species from the Swamp. The exotic *Oreochromis mossambicus* (*Tilapia mossambica*) is abundant in the reservoirs and low salinity condensers of industrial salt works, and in inundated areas of the Sanctuary during the monsoon. The coast of Point Calimere is an important fish landing site for fishes and prawns from November to February.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying **from 0.14 kilometre to 4 kilometre** around the boundary of Point Calimere Wildlife sanctuary with Block B in the State of Tamil Nadu as the Point Calimere Wildlife sanctuary with Block-B (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies **from 0.14 kilometer to 4kilometers** around the Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B. The area of the Eco-Sensitive Zone is **88.93 square kilometers**.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;

- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.** -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

**(1) Land use. –**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) Small scale industries not causing pollution;
  - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given in paragraph 4;

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies.** - The catchment areas of all-natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

### **(3) Tourism/ Eco-tourism**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

**(4) Natural Heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

**(5) Man-made heritage sites.** - Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** - The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.** - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** - Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.** - (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

#### 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S.No.	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing Mining (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpd Vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.  Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

<b>B. Regulated Activities</b>		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
9.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road.</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any.</p> <p>(d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry	Regulated under applicable laws.

	farms by firms, corporate, companies.	
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.



33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the draft notification, comprising of the following, namely:-

- |     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | District Collector  | Chairman;         |
| 2.  | A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government | Member;           |
| 3.  | An expert in Biodiversity nominated by the State Government   | Member;           |
| 4.  | The Sub-Collector, Nagapattinam   | Member;           |
| 5.  | The Block Development Officer, Vedaranyam   | Member;           |
| 6.  | An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government  | Member;           |
| 7.  | A representative from State Public Works Department   | Member;           |
| 8.  | A representative from State Pollution Control Board   | Member;           |
| 9.  | Tehsildar, Vedaranyam Taluk   | Member;           |
| 10. | District Forest Officer and Wildlife Warden   | Member Secretary. |

**6. Terms of Reference. –**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/28/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


#### **ANNEXURE- I**

#### **BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

<b>North</b>	The Northern boundary starts from S.No.4 of Agasthiyampalli village RS.No.059 and runs through the S.No. 12,15 and 21 and then enters into the Vedaranyam village and then again enters into S.No. 145,114,181,180 and 187 of Agasthiyampalli village and runs eastwards and ends in Vedaranyam shore of Bay of Bengal.
<b>North East</b>	The North-eastern boundary starts from the Vedaranyam shore of Bay of Bengal and runs southwards along the coast of Bay of Bengal parallel to S.No. 192, 198 and 199 of Agasthiyampalli village.
<b>East</b>	Thence the Eastern boundary continues to run southwards from S.No.199 of Agasthiyampalli village and runs adjacent to the Eastern boundary of Kodyakadu RF.
<b>South East</b>	The South-Eastern boundary runs along the coast of Bay of Bengal and ends in Palk Strait and then runs Westwards along the S.No. 351 and 350 of Kodyakarai RF.
<b>South</b>	The Southern boundary starts from the S. No 350 of Kodyakarai RF and runs along the S.No. 349, 348, 347,346,345,344,343,342,341, 340, 339, 338, 264, 263, 262, 262, 260, 205, 204, 203, 202, 201, 190, 189, 177, 176 and then enters the southern boundary of Kodyakadu village RS.No.60 and runs along the S.No. 79,78, 77, 76, 75, 74, 73, 72 and till the junction of S.No.70 and 71.
<b>South West</b>	The South-western boundary starts in the southern boundary of Kodyakadu village from S.No. 71 and runs through the salt swamps along the coast of Bay of Bengal.
<b>West</b>	The Western boundary starts from the Palk Strait and runs Northwards through the salt swamps and adjacent to the western boundary of the RS.No.60 Kodyakadu village and RS.No.61 Kodyakarai village and then runs through the Panchanathikulam Wetland area.
<b>North West</b>	The North-Western boundary continues through the Panchanathikulam Wetland area and enters the Vedaranyam Village RS.No.56 and runs through the S.No. 965, 314, 874, 889 and 887 and runs eastwards to enter into the S.No.4 of Agasthiyampalli village.


**ANNEXURE- IIA**

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B**




**ANNEXURE- IIB**

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B**




**ANNEXURE- IIC**


**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET**



**ANNEXURE- IID**

**LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH 10 KM BUFFER**



**ANNEXURE-III****MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS****ANNEXURE-III****TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B, Tamil Nadu**

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	N	10°18'15"	79°49'50"
2.	2	N	10°18'15"	79°50'29"
3.	3	N	10°17'57"	79°50'25"
4.	4	NE	10°17'49"	79°50'26"
5.	5	N	10°17'7"	79°50'20"
6.	6	N	10°17'12"	79°50'39"
7.	7	N	10°17'1"	79°50'48"
8.	8	N	10°17'15"	79°51'17"
9.	9	N	10°17'36"	79°51'53"
10.	10	N	10°17'53"	79°52'23"

11.	11	N	10°17'55"	79°52'26"
12.	12	E	10°17'53"	79°52'31"
13.	13	E	10°17'48"	79°52'33"
14.	14	SE	10°17'39"	79°52'28"
15.	15	S Chola Light house	10°17'21"	79°52'7"
16.	16	S	10°17'5"	79°51'43"
17.	17	S	10°16'47"	79°50'55"
18.	18	S	10°16'35"	79°50'13"
19.	19	S	10°16'40"	79°50'1"
20.	20	SW	10°16'53"	79°50'1"
21.	21	SW No.3 Gate	10°16'58"	79°49'55"
22.	22	SW	10°17'7"	79°49'51"
23.	23	W	10°17'13"	79°49'46"
24.	24	W	10°17'16"	79°49'51"
25.	25	W	10°17'20"	79°49'51"
26.	26	W No.2 Gate	10°17'25"	79°50'2"
27.	27	W	10°17'34"	79°50'7"
28.	28	W	10°17'43"	79°50'7"
29.	29	W	10°17'48"	79°49'57"
30.	30	NW	10°17'55"	79°49'55"
31.	31	NW	10°17'58"	79°49'52"
32.	32	NW	10°18'2"	79°49'47"
33.	33	NW	10°18'15"	79°49'50"

**TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone**

S. No.	Identification of prominent points	Location Direction / of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	NE	10°22'13"	79°52'21"
2.	2	NE	10°20'19"	79°52'42"
3.	3	E	10°19'16"	79°52'52"
4.	4	E	10°18'33"	79°52'56"
5.	5	E	10°17'60"	79°52'53"
6.	6	E	10°17'40"	79°52'42"
7.	7	SE	10°17'19"	79°52'14"

8.	8	SE	10°17'10"	79°51'58"
9.	9	SE	10°16'53"	79°51'26"
10.	10	SE	10°16'43"	79°51'2"
11.	11	SE	10°16'43"	79°50'54"
12.	12	S	10°16'31"	79°50'2"
13.	13	S	10°16'27"	79°48'53"
14.	14	S	10°16'27"	79°47'42"
15.	15	S	10°17'20"	79°47'34"
16.	16	S	10°18'14"	79°47'10"
17.	17	S	10°18'56"	79°47'10"
18.	18	S	10°19'38"	79°47'22"
19.	19	S	10°20'15"	79°47'48"
20.	20	S	10°20'37"	79°48'19"
21.	21	S	10°21'21"	79°48'48"
22.	22	SW	10°21'59"	79°49'40"
23.	23	SW	10°22'12"	79°50'32"
24.	24	SW	10°22'17"	79°51'26"

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S.No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	Agasthiyampalli	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 22' 23"	79°51'26"
2.	Vedaranyam	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 21' 49"	79°49'37"
3.	Kodiyakadu	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 16' 54"	79°49'30"
4.	Kodiyakarai	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 17' 44"	79°49'31"

**Annexure –V****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.